किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्र. डी-15-06-2011-चौदह-3.—यतः राज्य शासन ने यह विनिश्चय किया है कि प्रदेश की मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 एवं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/प्रसंस्करणकर्ता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मण्डी फीस से भुगतान में छूट प्रदान की जाये.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित कृषि उपज जो प्रसंस्करण हेतु किसी मंडी क्षेत्र में क्रय की गई हो या लाई गई हो और अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जा रही है को निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अध्याधीन रहते हुये मण्डी फीस से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

(1) अधिसूचित कृषि उपज से तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 2(1)क, के अधीन उल्लेखित अनुसूची के शीर्ष दो, तीन, दस, में वर्णित उपज तथा शीर्ष चार में वर्णित उपज सोयाबीन से है.

(2) इस अधिसूचना अन्तर्गत राज्य के बाहर से किसी मंडी क्षेत्र में लायी गई अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस से छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए जिन अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर विचार किया जायेगा वे निम्नानुसार हैं :—

2.1 — दाल मिल जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो.

2.2 — चावल मिल, चावल हलिंग पार बॉईलिंग धान, पोहा, मुरमुरा मिल्स जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो.

2.3 — तेल मिल्स जिनके द्वारा अधिसूचित कृषि उपज सोयाबीन का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है एवं जिनका कुल उत्पादन सोयाबीन तेल (जिसमें रिफाइण्ड तेल भी सम्मिलित है) व डी-ऑईल केक के अतिरिक्त मूल्य संवर्धित उत्पादों का प्रतिशत (कुल विक्रय मूल्य के आधार पर) पच्चीस अथवा अधिक हो.

2.4 — पशु आहार एवं पोल्ट्री आहार संयंत्र जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो.

2.5 — मसाला एवं नमकीन बनाने वाले संयंत्र जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो:

परन्तु, गेंहू आधारित अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई राज्य के बाहर से किसी मंडी क्षेत्र में लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस से छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होगी.

(3) मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अधिसूचित फूड पार्क में स्थापित उपरोक्त कंडिका 2 में वर्णित अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों तथा आटा रोलर मिल एवं आटा संयंत्र जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को राज्य के भीतर से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस से छूट प्राप्त होगी.

(4) उपरोक्त उल्लेखानुसार अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस के भुगतान पर छूट केवल प्रसंस्करण/निर्माण में उपयोग में लायी मात्रा पर ही स्थापित संयंत्र को प्राप्त होगी परन्तु वाणिज्यिक प्रयोजन के अनुक्रम में या इस अधिसूचना में विहित निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघनों में क्रय एवं विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी क्षेत्र की मंडी समिति द्वारा मंडी फीस के भुगतान पर छूट नहीं दी जायेगी और ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियमों के उपबंध मंडी फीस के उद्ग्रहण लागू होंगे.

(5) उक्त अधिनियम की धारा 31, 32 तथा 32-क के अधीन उपरोक्त वर्णित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को अधिसूचित कृषि उपज के लिये मण्डी कृत्यकारी की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना बाध्यकर होगा तथा यह आवश्यक होगा कि राज्य के भीतर के या राज्य के बाहर से कच्चे माल के रूप में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में आयकर/वाणिज्यिक विभाग को नियत कालिक विवरणी, संदर्भित खाद्य प्रसंस्करण इकाई में किया गया स्थायी पूंजी निवेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य समस्त ब्यौरे समय-समय पर यथा निर्देशित मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति को प्रस्तुत करना होगी.

(6) उपरोक्त कंडिका 2.3 में वर्णित खाद्य प्रसंस्करण इकाई को अन्य के अतिरिक्त प्रत्येक तिमाही के अंत पर 15 दिवस में उसके द्वारा कुल किया गया उत्पादन यथा सोयाबीन तेल (जिसमें रिफाइण्ड तेल भी सम्मिलित है) व डी-ऑईल केक के अतिरिक्त मूल्य संवर्धित उत्पादों का प्रतिशत (कुल विक्रय मूल्य के आधार पर) की मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित जानकारी जिससे उसे प्रदान की गयी मण्डी छूट की पात्रता सत्यापित एवं प्रमाणित हो जिस मण्डी के क्षेत्र में वर्णित खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित है को प्रेषित करना होगी अन्यथा खाद्य प्रसंस्करण इकाई को प्रदत्त मण्डी पीस से छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

(7) कंडिका 2 एवं 3 में वर्णित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को जो कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मध्यप्रदेश में पंजीकृत एवं मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2010 के अधीन मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा परिभाषित, उद्योगों के उपरोक्त निबंधनों तथा शर्तों के अधीन मण्डी पीस भुगतान से छूट हेतु पात्र होंगी.

(8) मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह शर्त क्रमांक (5) के अनुसार स्थायी पूंजी निवेश, उपरोक्त संदर्भित अधिसूचित कृषि उपज के उपयोग से उत्पादन की दैनिक और वार्षिक क्षमता, उपरोक्त संदर्भित अधिसूचित कृषि उपज की कच्ची सामग्री और मात्रा की आवश्यकता की पुष्टि मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें.

(9) यह छूट ऐसी अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों पर लागू नहीं होगी जो शर्त क्रमांक (8) में यथा-उल्लेखित उत्पादन की प्रामाणिक क्षमता और उसके लिये कच्ची सामग्री तथा अधिसूचित कृषि उपज की उपयोग में लाई जाने वाली मात्रा की जानकारी प्रस्तुत करने में तथा इसका उपयोग प्रसंस्करण हेतु करने में असफल रही है.

(10) अधिसूचित कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिये स्थापित इकाई को मण्डी फीस से छूट उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश की रकम के अधिकतम पचास प्रतिशत रकम के समतुल्य होगी. संदर्भित अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई प्रदेश की जिस मण्डी के क्षेत्र में स्थापित है उस मण्डी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की समस्त मण्डी समितियों से प्राप्त माहवार छूट की जानकारी प्राप्त कर गणना करे तथा निबंधनों और शर्तों के पालन को सुनिश्चित करायेंगी.

(11) अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अध्यधीन रहते हुए मण्डी क्षेत्र में स्थापित की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाई को पहली बार कच्चे माल क्रय करने के दिनांक से कंडिका 14 अनुसार या पात्रता जारी किये जाने के दिनांक से जो भी बाद में हो, से अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि तक मण्डी फीस के भुगतान से छूट की पात्रता होगी. परन्तु कंडिका क्रमांक (10) में उल्लेखित छूट की अधिकतम राशि का उपयोग उक्त अवधि से पूर्व करने पर यह पात्रता समाप्त हो जावेगी.

(12) किन्ही शर्त के भंग या इस अधिनियम के उपबंधों तथा उपरोक्त निबंधनों तथा शर्तों के अनुपालन या उल्लंघन की दशा में स्थापित की गई अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा उसे अधिसूचित कृषि उपज पर उपलब्ध कराई गई कुल मण्डी फीस से छूट की पांच गुना राशि, संबंधित मण्डी समिति को शास्ति के रूप में देय होगी.

(13) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करणकर्ता को इस अधिसूचना के अधीन प्राप्त सहायता के अतिरिक्त मण्डी फीस से छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा. ये अधिसूचना प्रभावशील होने के दिनांक से अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन उद्योग संवर्धन नीति 2004 (यथा संशोधित) या खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 या अन्यथा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को (अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन समरूप से सभी मण्डियों पर लागू होने वाली जैसे कि अधिसूचित कृषि उपज 'कपास' को प्रदान मण्डी फीस से छूट, धान से बासमती चावल निर्माण के लिये आधुनिक मार्डन संयंत्र एवं फल, सब्जी तथा फूल

आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मण्डी फीस से प्रदान की गयी छूट को छोड़कर), विभाग के द्वारा प्रदान की गयी मंडी फीस से छूट समाप्त समझी जावेगी.

(14) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पूर्वोक्त प्रावधारित निबंधनों के अनुसार, ऐसी इकाइयों को मण्डी फीस से छूट उपलब्ध कराने के लिये प्राधिकृत किया जाता है जो प्रकरणवार परीक्षण करने के पश्चात् इस संबंध में आवश्यक विनिश्चय करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्र. डी-15-06-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 2 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd February 2011

No. D-15-06-2011-XIV-3.—WHEREAS, in the opinion of the State Government, the Licence Food Processing Industry/Processor as provided in the Madhya Pradesh Food Processing Policy, 2008 and Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 should be given relaxations in the payment from the market fee to encourage their production in the State;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby exempt the Notified Agricultural Produce brought into or purchased in any market area of the State for the use of production/ processing, from the payment of market fee payable under the said Act, subject to the following terms and conditions, namely :—

(1) The Notified Agricultural Produce means the agriculture produce defined under the Section 2(1) (a) of the Act and enlisted in Schedule II, III, X and Soybean enlisted in Schedule IV of the Act.

(2) List of Food Processing Industry/Processor who would be considered for the benefit of exemption from payment of mandi Fee on notified agricultural produce brought into any market area from out of state is as under :—

2.1 — Daal mills with the investment of above 50 Lakh in plant and machinery.

2.2 — Rice mills, Rice hulling parboiling of paddy, Poha, Murmura mills with the investment of above 50 Lakh in plant and machinery.

2.3 — excluding Soya Oil (including refined oil) and de-oiled cakes, is twenty five percent or above.

2.4 — Cattle feed and Poultry feed units with the investment of above 50 Lakh in plant and Machinery.

2.5 — Salted snacks and Masala Making units with the investment of above 50 Lakh in plant and Machinery.

But, the Wheat based licence Food Processing Industry shall be ineligible for the purpose of benefit of not paying the mandi fee on the notified agricultural produce brought into any market area from out of state.

(3) Food Processing Industry listed in Para 2 above, which have established in the Food Parks, notified by the Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department and Roller Flour Mills with Flour mills with the investment in Plant and Machinery above 50 Lakh would be considered for exemption from payment of Mandi Fee on the notified agricultural produce purchased in the market area brought from with in state.

(4) Exemption from payment of mandi fee on said notified agricultural produce shall only be extended, if it is used as raw material for the purpose of production/ processing in the established units, but if the said notified agricultural produce is sold or purchased in a commercial transaction or has been used in contravention of the term and conditions prescribed in the notification the exemption shall not be made by the market committee of the market area and the concerned market committee shall levy the market fees as per the provision of the said Act.

(5) It shall be binding for the above stated food processing units to obtain the license of market functionary under section 31, 32 and 32-A of the said Act, and it shall also be necessary for them to submit to the market committee of the market area, their Income Tax Department/ Commercial Tax Department's attested and certified copies of the periodic returns, capital investment made in plant and Machinery and all other details as directed from time to time, in relation to the notified agricultural produce purchased as raw material within the state or from out side of the state.

(6) The food processing unit defined in Para 2.3 shall also have to submit with in 15 days at end of each Quarter, the details duly certified and verified by the Madhya Pradesh Commerce Industries and Employment Department of the total soya oil (including the refined oil) de-oiled cakes and the value added products manufactured by them and the percentage of the value added produce in value terms of the total production which should verify and certify their entitlement for exemption from payment of mandi fee. Failing to do so, the Food Processing Unit can not avail the benefit of exemption from payment of Mandi Fee.

(7) Such food processing units, which have been listed in Para 2 & 3 above and are registered with Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department, Madhya Pradesh Commerce, Industries and Employment Department and are defined and recognized by them under the Madhya Pradesh Food Processing Policy, 2008 or Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010 shall be eligible for exemption from the payment of market fees.

(8) For the purpose of exemption from the payment of market fees, it shall be necessary for the food processing unit to produce certified details as detailed in the Para 5 above of permanent capital investment made, daily and annual capacity of the production, raw material and its quantity i. e. name and quantity of notified agricultural produce needed, obtained from the Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department, Madhya Pradesh Commerce, Industries and Employment Department.

(9) This exemption shall not be applicable to such food processing units who have failed to produce the details as mentioned in Para 5, i. e. certified capacity for production, its raw material requirement of "Fruit", "Vegetable" & "Flower", its used quantities for processiong/ production and failure to use the same for processing/ production.

(10) Exemption from market fee to establish food processing unit as mentioned in Condition No. (6) shall be equivalent to maximum fifty percent amount of the permanent capital investment made by them. It shall be the duty of the concerned market committee, in who's area the food processing unit is established, to calculate the month wise exemption obtained from all the market committees of the state and ensure the implementation of the terms and conditions.

(11) Subject to sub-section (2) of Section 69 of the Act, the food processing unit established in market area shall be entitled for exemption from market fees for maximum period of three years from first date of purchase of the notified agriculture produce, or issue of eligibility certificate as per clause 14 hereunder which ever is later subject to capping as per Condition No. (10) here in above.

(12) In case of breach of any condition or non compliance or violation of the provisions of this Act and aforesaid terms and conditions, five times amount of the total market fees made available to the established food processing unit in form of exemption will be payable as penalty by established food processing unit to the concerned market committee.

(13) Licensee food processing unit shall not be entitled for grant of any additional exemptions from the payment of market fee other than prescribed in this notification. After coming into effect of this notification any exemptions in mandi fee granted under sub-section 1 and 2 of Rule 69 of the Act, to any Food processing Industry as per the provisions for the Industrial Promotion Policy 2004 or Food Processing Policy 2008 shall be repealed, barring exemption given by State Government under sub-section 1 and 2 or Rule 69 of the Act which is applicable to all mandies like exemption given to notified agricultural produce 'cotton', exemption granted to Modern Rice Plants for manufacturing Basmati Rice from Paddy and exemption granted to Fruit, Vegetable & Flowers based food processing Industries.